	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	आषाढ़ 25, गुरूवार, शाके 1942–जुलाई 16, 2020 *Asadha 25,, Thursday, Saka 1942–July 16, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

जल संसाधन विभाग

घोषणा

जयपुर, जुलाई 03, 2020

संख्याः 67/भू.अ./ज.सं./2015/740-744: चूंकि राज्य सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ खाण माईक्रों सिंचाई परियोजना के निर्माण में शेष रही भूमि को अवाप्ति किया जाना आवश्यक है। यह घोषणा की जाती है कि निम्नाकिंत वर्णित भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

यह घोषणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के प्रावधानुसार उन सब हितकारियों के निमित्त जिनका इससे सम्बन्ध हो, जारी की जाती है तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर को कथित भूमि की अवाप्ति के निमित्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

प्रकरण में धारा 11-12 के तहत जारी विज्ञप्ति क्रमांक 2975-2979 दिनांक 11.07.2018 का राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 25.07.2018 को किया गया। भूमि का मौका सत्यापन राजस्व विभाग द्वारा देरी से किये जाने से धारा 19 के प्रस्ताव में विलम्ब के कारण को ध्यान में रखते हुए उक्त अधिनियम की धारा 19(7) के प्रावधानुसार घोषणा हेतू समय सीमा दिनांक 24.07.2019 से बढाकर दिनांक 24.07.2020 तक बढाई गयी है।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर तथा अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, सिरोही के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरण

कार्यालय अधिशाषी अभियंता जल संसाधन खण्ड सिरोही

केन्द्रीय भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति की धारा 19 की घोषणा हेतु प्रस्ताव

भूमि अर्जन अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर, जिला सिरोही राजस्थान

लघु/सुक्ष्म सिंचाई परियोजना खाण का निर्माण कार्य के लिए धारा 19 के तहत प्रभावित होने वाले व्यक्ति/कृषक भूमिधारको की सूची

गांव: खाण ग्राम पंचायत: वरमाण तहसील: रेवदर जिला: सिरोही

क्र. सं.	भूमिधारक का नाम	खसरा नं.	किस्म भूमि	भूमि का कुल रकबा	अवाप्त की जाने वाली भूमि का रकबा	वि. वि.

				बीघा-बिस्वा	बीघा	बिस्वा	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रतनीदेवी धर्मपत्नी सामती 1/2 कसनादेवी धर्मपत्नी सांकलाजी 1/4 समदादेवी धर्मपत्नी भूराराम 1/4 कौम रेबारी सा. आवाडा	10/1219	ब-3	10-00	3	0	
योग :-		1	-	10-00	3	0	

जितेन्द्र दीक्षित
उप सचिव एवं प्रावै. सहा.
वास्ते मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।